

31/11/19

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में
वार-वार आवेदन लगावार्थ गर्भ परन्तु
प्रार्थी व उनके अधिवक्ता कोई उत्तर
नहीं दिए। अतः प्रकरण अफ हाजरी/
अफ वेन्चूरी में खारीज किया जाता है।
पत्रावली केवल भुगत हो कर न्याय
के क्रम में निर्णय सुले न्यायालय
में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्ड